

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 61

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	406.70	13.48	420.18	192.67	15.54	208.21	154.53	12.77	167.30	5000.00	35.79	5035.79
पूँजी	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	92.00	2.77	94.77
जोड़	501.70	13.48	515.18	287.67	15.54	303.21	246.53	15.54	262.07	5000.00	35.79	5035.79
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय - आर्थिक सेवा	3451	34.19	34.19
	4810
जोड़	34.19	34.19
2. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष अंतरण	2810	4947.00	...	4947.00
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना												
3.01 ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत												
3.01.01 पवन विद्युत	2810	365.00	...	365.00
3.01.02 जल विद्युत	2810	85.00	...	85.00
3.01.03 जैव विद्युत	2810	30.00	...	30.00
3.01.04 सौर विद्युत	2810	2138.00	...	2138.00
3.01.05 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर	2810	500.00	...	500.00
3.01.06 सूचना शिक्षा और संचार	2810	5.00	...	5.00
3.01.07 नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग प्रदर्शन	2810	2.00	...	2.00
3.01.08 ऊर्जा भंडारण	2810	16.00	...	16.00
3.01.09 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2810	39.00	...	39.00
3.01.10 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सहायता (एसईसीआई/इरेडा)	4810	100.00	...	100.00
3.01.11 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	239.00	...	239.00
जोड़- ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत	3519.00	...	3519.00
3.02 आफ ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटिड एंड डीसेंट्रलाइज्ड रीन्यूएबल पावर												

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3.02.01	पवन विद्युत	2810	5.20	...	5.20
3.02.02	जल विद्युत	2810	10.00	...	10.00
3.02.03	जैव विद्युत	2810	30.00	...	30.00
3.02.04	सौर विद्युत	2810	500.00	...	500.00
3.02.05	सुदूर ग्राम विजलीकरण	2810	30.00	...	30.00
3.02.06	जैव गैस कार्यक्रम	2810	70.00	...	70.00
3.02.07	अन्य	2810	13.00	...	13.00
3.02.08	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग (सौर ऊर्जा वाले शहर, ग्रीन बिल्डिंग आदि)	2810	14.80	...	14.80
3.02.09	राज्यों को सहायता सहित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2810	6.00	...	6.00
3.02.10	ऊर्जा भंडारण	2810	2.00	...	2.00
3.02.11	केंद्रीय योजना स्कीम	3601	45.00	...	45.00
3.02.12	इरेडा सहायता	4810
3.02.13	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	257.00	...	257.00
	जोड़- आफ ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटिड एंड डीसेंट्रलाइज्ड रीन्यूएबल पावर		983.00	...	983.00
3.03	अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग												
3.03.01	जैव ऊर्जा	2810	8.00	...	8.00
3.03.02	सौर ऊर्जा	2810	90.00	...	90.00
3.03.03	लघु जल विद्युत	2810	3.00	...	3.00
3.03.04	नई प्रौद्योगिकी	2810	20.00	...	20.00
3.03.05	पवन ऊर्जा	2810	3.00	...	3.00
3.03.06	अंतर्राष्ट्रीय संबंध - निवेश संवर्धन सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2810	220.00	1.60	221.60
3.03.07	मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	2810	55.00	...	55.00
3.03.08	ऊर्जा भंडारण	2810	2.00	...	2.00
3.03.09	नवीन और नवाचारी परियोजना/एनआईएनईआई/ए न्यूआरई/डब्ल्यूईआरएम	2810	44.00	...	44.00
3.03.10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़- अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	445.00	1.60	446.60
3.04 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से पूरित धनराशि घटाएं	2810	-4802.00	...	-4802.00
	3601	-45.00	...	-45.00
	4810	-100.00	...	-100.00
जोड़	-4947.00	...	-4947.00
कुल	1.60	1.60
4. स्वायत्त निकाय													
4.01 राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	2810	25.00	...	25.00
4.02 राष्ट्रीय गैर ऊर्जा संस्थान	2810	8.00	...	8.00
4.03 राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	2810	20.00	...	20.00
जोड़- स्वायत्त निकाय	53.00	...	53.00
सं.अ. 2015-2016													
5. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	18.24	12.46	30.70	10.47	14.06	24.53	16.05	12.02	28.07
	4810	2.77	2.77
जोड़	...	18.24	12.46	30.70	10.47	14.06	24.53	16.05	14.79	30.84
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा													
6. ग्रिड-इंटरएक्टिव और प्रसारित अक्षय विद्युत													
6.01 ग्रिड-इंटरएक्टिव और प्रसारित अक्षय विद्युत	2810	1844.66	...	1844.66	2410.00	...	2410.00	3894.00	...	3894.00
6.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2810	-1777.35	...	-1777.35	-2410.00	...	-2410.00	-3894.00	...	-3894.00
कुल	...	67.31	...	67.31
7. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	113.63	...	113.63	90.00	...	90.00	54.76	...	54.76
	3601	35.00	...	35.00	41.00	...	41.00	37.80	...	37.80
जोड़	...	148.63	...	148.63	131.00	...	131.00	92.56	...	92.56
8. शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	12.44	...	12.44	4.62	...	4.62	4.62	...	4.62
9. अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास													
9.01 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास													
9.01.01 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	2810	127.45	...	127.45	90.00	...	90.00	106.00	...	106.00
9.01.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2810	-90.00	...	-90.00	-106.00	...	-106.00
कुल	...	127.45	...	127.45

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
9.02 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	4810	
जोड़- अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	127.45	...	127.45	
10. सहायक कार्यक्रम													
10.01 विदेशी सहायता (ईएपी)	2810	7.95	...	7.95	2.87	...	2.87	2.87	...	2.87	
10.02 घरेलू सहायता	2810	50.25	1.02	51.27	14.71	1.48	16.19	13.78	0.75	14.53	
10.03 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2810	
कुल	58.20	1.02	59.22	17.58	1.48	19.06	16.65	0.75	17.40	
11. अन्य व्यय	2810	
3601	
जोड़	
12. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश													
12.01 सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	4810	295.00	...	295.00	95.00	...	95.00	92.00	...	92.00	
12.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	4810	-200.00	...	-200.00	
कुल	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	92.00	...	92.00	
जोड़-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	509.03	1.02	510.05	248.20	1.48	249.68	205.83	0.75	206.58	
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान													
13.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	29.00	...	29.00	24.65	...	24.65	
13.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2552	
कुल	29.00	...	29.00	24.65	...	24.65	
14. वास्तविक वसूलियां	2810	-25.57	...	-25.57	
कुल जोड़	501.70	13.48	515.18	287.67	15.54	303.21	246.53	15.54	262.07	5000.00	35.79	5035.79	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
3.01 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	12810	240.00	3280.18	3520.18	3.00	3373.06	3376.06	...	5402.55	5402.55	...	9118.85	9118.85
3.02 भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा निगम	12810	55.00	10.98	65.98	92.00	...	92.00	92.00	28.38	120.38	100.00	73.98	173.98
जोड़	295.00	3291.16	3586.16	95.00	3373.06	3468.06	92.00	5430.93	5522.93	100.00	9192.83	9292.83	

ग. योजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट सहायता											
		आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	
1. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा	12810	501.70	3291.16	3792.86	258.67	3373.06	3631.73	221.88	5430.93	5652.81	4504.00	9192.83	13696.83
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	29.00	...	29.00	24.65	...	24.65	496.00	...	496.00
जोड़		501.70	3291.16	3792.86	287.67	3373.06	3660.73	246.53	5430.93	5677.46	5000.00	9192.83	14192.83
*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन													
मांग संख्या 105	12810

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय हेतु है।

2. **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष में स्थानांतरण:** राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष में स्थानांतरण को सूचित करते हुए एक प्रविष्टि जिसे 3.04 पर दी गई प्रविष्टि से पूरा किया जाता है।

3.01. **ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय विद्युत:** इस के प्रावधान का उपयोग सौर, पवन, लघु पन बिजली तथा खोई सह उत्पादन सहित बायोमास से ग्रिड इन्टरएक्टिव विद्युत क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया जाएगा। वर्ष के दौरान वास्तविक लक्ष्यों की दृष्टि से प्रमुख योगदान सौर तथा पवन ऊर्जा से अर्थात् क्रमशः 12,000 मेगावाट और 4100 मेगावाट प्राप्त होगा। ऊर्जा भंडारण पर एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा पारेषण अवसंरचना के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के अन्तर्गत इन्ट्रा स्टेट ट्रान्शमिशन लाइनों में केन्द्र सरकार के घटक को भी कार्यान्वित किया जाएगा। चूंकि वर्ष के दौरान सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को एनसीईएफ के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है इसलिए बजट किए गए परिव्यय का अन्तरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा संस्तुत एनसीईएफ एवं परियोजनाओं एनसीईएफ योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित सौर परियोजनाओं के लिए सेसी के माध्यम से वीजीएफ योजनाओं के लिए उपरोक्त में से किसी शीर्ष के अन्तर्गत भी उचित अनुमोदन से उपयोग किया जा सकता है। 4000 करोड़ रु. का कुल बजट सौर ऊर्जा कार्यक्रमों अर्थात् सौर पार्क, ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप कार्यक्रम, वीजीएफ परियोजनाओं/योजनाओं, नहर के ऊपर और किनारे पर ग्रिड संबद्ध सौर परियोजनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (आईएसए) की गतिविधियों तथा सौर पंप कार्यक्रम सहित ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों, भारतीय सौर ऊर्जा निगम को इक्विटी सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त सौर ऊर्जा परियोजनाओं और सौर ऊर्जा के निष्क्रमण के लिए पारेषण अवसंरचना के लिए रखे गए हैं। 400 करोड़ रु. पवन ऊर्जा कार्यक्रम अर्थात् उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, ऑफ ग्रिड पवन ऊर्जा कार्यक्रमों/परियोजनाओं तथा पवन ऊर्जा के विकास हेतु अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के ले निर्धारित किए गए हैं। बजट का 10% क्रमशः पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है। संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत बजटीकृत अनुमानों का 3% प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के विज्ञापन, प्रचार और जागरुकता सृजन के लिए रखा जाएगा।

3.02. **ऑफ ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय विद्युत:** यह प्रावधान ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अन्तर्गत शामिल किए गए प्रमुख कार्यक्रम हैं- ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत/वितरित प्रणालियाँ अर्थात् सौर प्रकाश, सौर पंप आदि, बायोगैस कार्यक्रम, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, विकेन्द्रीकृत जैव विद्युत कार्यक्रम आदि।

बायो ईंधन और ऊर्जा भंडारण पर दो नये कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की जाएंगी। चूंकि वर्ष के दौरान सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को एनसीईएफ के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है इसलिए बजट किए गए परिव्यय का अन्तरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा संस्तुत एनसीईएफ योजनाओं एवं परियोजनाओं के साथ-साथ एनसीईएफ के अन्तर्गत अनुमोदित सौर परियोजनाओं के लिए सेसी के माध्यम से वीजीएफ योजनाओं के लिए उपरोक्त में से किसी शीर्ष के अन्तर्गत भी उचित अनुमोदन से उपयोग किया जा सकता है। 4000 करोड़ रु. का कुल बजट सौर ऊर्जा कार्यक्रमों अर्थात् सौर पार्क, ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप कार्यक्रम, वीजीएफ परियोजनाओं/योजनाओं, नहर के ऊपर और किनारे पर ग्रिड संबद्ध सौर परियोजनाओं, अन्तर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (आईएसए) की गतिविधियों तथा सौर पंप कार्यक्रम सहित ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों, भारतीय सौर ऊर्जा निगम को इक्विटी सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त सौर ऊर्जा परियोजनाओं और सौर ऊर्जा के निष्क्रमण के लिए पारेषण अवसंरचना के लिए रखे गए हैं। 400 करोड़ रु. पवन ऊर्जा कार्यक्रम अर्थात् उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, ऑफ ग्रिड पवन ऊर्जा कार्यक्रमों/परियोजनाओं तथा पवन ऊर्जा के विकास हेतु अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के ले निर्धारित किए गए हैं। बजट का 10%, 3.5% और 1.75% क्रमशः पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उप योजना के लिए निर्धारित किया गया है। संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत बजटीकृत अनुमानों का 3% प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के विज्ञापन, प्रचार और जागरुकता सृजन के लिए रखा जाएगा।

3.03. **अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान (i) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर आरएंडडी गतिविधियाँ; (ii) मानक एवं परीक्षण; (iii) अक्षय ऊर्जा आकलन; (iv) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत चल रहे फेलोशिप कार्यक्रमों के वित्तपोषण के अलावा, सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई सूर्य मित्र योजना के लिए किया गया है। भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू एनर्जी एंड इनोवेशन, जिसके लिए ओडिशा की राज्य सरकार द्वारा पहले ही भूमि आवंटित कर दी गई है, की स्थापना करने, अक्षय ऊर्जा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और विश्व ऊर्जा संग्रहालय की स्थापना करने सहित कुछ नई और अभिनव परियोजनाओं को आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के अधिकांश प्रारम्भ-पूर्व कार्यकलापों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय सौर एलायंस के लिए कॉर्पस निधि में अंशदान तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सदस्य देशों में अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन करने के लिए भी विशेष रूप से निधियाँ आवंटित की जाती हैं। चूंकि वर्ष के दौरान सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को एनसीईएफ के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है इसलिए बजट किए गए परिव्यय का अन्तरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा संस्तुत एनसीईएफ योजनाओं एवं परियोजनाओं के साथ-साथ एनसीईएफ के अन्तर्गत अनुमोदित सौर परियोजनाओं के लिए सेसी के

माध्यम से बीजीएफ योजनाओं के लिए उपरोक्त में से किसी शीर्ष के अन्तर्गत भी उचित अनुमोदन से उपयोग किया जा सकता है। संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत बजटीकृत अनुमानों का 3% प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के विज्ञापन, प्रचार और जागरूकता सृजन के लिए रखा जाएगा।

4. **स्वायत्त निकायः:** एमएनआरई के स्वायत्त निकायों अर्थात् राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान को सहायता प्रदान करने के लिए बजट रखा गया है।